


प्रश्न सं. [क. 1258]

विधान सभा तारांकित प्रश्न-1258-प्रश्नकर्ता श्री नरेन्द्र सिंह कुमठ सह. वि.कम। प्रश्न (क) स्तर (ख) के इनमें वर्णित - परिशिष्ट-अ (परिशिष्ट-अ)


प्रश्न (क)	वाणिज्यिक कर विभाग स्वालियर संभाग और चंबल संभाग में वर्ष 2011 से प्रश्नांश दिनांक तक किस कर्मचारी पर कब विभागीय जांच संस्थापित की गई?	प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण दें।	कार्यवाही न करने का क्या कारण है?	इसके लिए कौन उत्तरदायी है?
उत्तर:-				
(1)	श्री यू.के.कोरी, वाणिज्यिक कर निरीक्षक, जांच संस्थापित दिनांक 01.03.14	प्रकरण में जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.12.16 से प्राप्त। जिस पर श्री कोरी का अभ्यावेदन चाहा गया। जो इस कार्यालय में दिनांक 06.10.16 को प्राप्त हुआ। प्रकरण में कतिपय जानकारी संभागीय उपायुक्त, जबलपुर एवं स्वालियर संभाग-2 से इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.02.17 से चाही गई है।	कार्यवाही प्रचलन में है।	कोई नहीं।
(2)	श्री आर.के.भट्ट, सेवानिवृत्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी जांच संस्थापित दिनांक 9.2.15	जांच प्रतिवेदन दि. 17.10.16 से प्राप्त। जिस पर श्री भट्ट का अभ्यावेदन दिनांक 09.12.2016 को प्राप्त। श्री भट्ट सेवा निवृत्त होने से अंतिम निर्णय हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया जा रहा है।	कार्यवाही प्रचलन में है।	कोई नहीं।
(3)	श्री यू.एस.वैस, उपायुक्त, जांच संस्थापित दिनांक 03.11.2016	श्री वैस के प्रकरण में अपर आयुक्त, परिक्षेत्र भोपाल को शासनादेश दिनांक 03.11.2016 से जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर परिक्षेत्र भोपाल सेवानिवृत्त होने से प्रकरण में नवीन जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव शासन को भेजे जा रहे हैं।	कार्यवाही प्रचलन में है।	कोई नहीं।
(4)	श्री जे.पी.भारद्वाज, सेवानिवृत्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जांच संस्थापित दिनांक 31.07.2014	प्रकरण में विभागीय जांच पश्चात आदेश दिनांक 21.10.2015 से प्रकरण नरितबद्ध किया।	आदेश दिनांक 21.10.15 से समाप्त।	कोई नहीं।
(5)	श्री चन्द्रकांत मिश्रा, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 12.03.2012	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 08.07.2013 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 08.07.2013 से समाप्त।	कोई नहीं।
(6)	श्री अब्दुल अजीज कुरेशी, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 21.12.2011	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 30.06.2014 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 30.06.2014 से समाप्त।	कोई नहीं।
(7)	श्री नेहरू सिंह, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 30.04.2012	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 08.04.2015 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 08.04.2015 से समाप्त।	कोई नहीं।
(8)	श्री व्ही.के.जालवणकर, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 30.04.2012	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 30.07.2014 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 30.07.2014 से समाप्त।	कोई नहीं।
(9)	श्री महेश कुमार कुलश्रेष्ठ, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 30.04.2012	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 30.07.2014 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 30.07.2014 से समाप्त।	कोई नहीं।
(10)	श्री ओम शंकर अग्रवाल, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 30.04.2012	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 30.07.2014 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 30.07.2014 से समाप्त।	कोई नहीं।
(11)	श्री आई.पी.एस.कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 30.04.2012	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 30.07.2014 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 30.07.2014 से समाप्त।	कोई नहीं।



अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

(12)	श्री व्ही.एस.कुशवाह, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 30.04.2012	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 31.07.2014 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 31.07.2014 से समाप्त।	कोई नहीं।
(13)	श्री जी.एस.भदौरिया, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 30.04.2012	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 31.07.2014 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 31.07.2014 से समाप्त।	कोई नहीं।
(14)	श्री आर.बी.नामदेव, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 30.04.2012	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 29.05.2015 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 29.05.2015 से समाप्त।	कोई नहीं।
(15)	श्री एम.एल.आहुजा, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 30.04.2012	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 31.07.2014 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 31.07.2014 से समाप्त।	कोई नहीं।
(16)	श्री संजय कुमार गोडिया, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित दिनांक 14.11.2011	माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है।	कार्यवाही प्रचलन में है।	कोई नहीं।
(17)	श्रीमती शुभांगी वायवार, आई.टी.ऑपरेटर जांच संस्थापित दिनांक 07.08.2015	प्रकरण में विभागीय जांच पश्चात जांच प्रतिवेदन दिनांक 19.01.17 से प्राप्त। प्रकरण में आदेश जारी किया जा रहा है।	कार्यवाही प्रचलन में है।	कोई नहीं।
(18)	श्रीमती मुन्नी बाई, भृत्य जांच संस्थापित दिनांक 05.11.2014	प्रकरण में जांच पश्चात आदेश दिनांक 04.12.2015 से लघुशास्ति आरोपित की गई।	आदेश दिनांक 04.12.2015 से समाप्त।	कोई नहीं।
(19)	श्री राजेश भृत्य जांच संस्थापित दिनांक 05.08.2014	दिनांक 04.12.2015 को अपचारी की मृत्यु होने से प्रकरण समाप्त।	मृत्यु होने से प्रकरण समाप्त।	कोई नहीं।
(20)	श्री मनोज कुमार जैन, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थित दि० 08.03.13	प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।	कार्यवाही प्रचलन में है।	कोई नहीं।
(21)	श्री दीपक भदौरिया, सहायक ग्रेड-3 जांच संस्थापित 12.02.14	प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।	कार्यवाही प्रचलन में है।	कोई नहीं।

W
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल


अवर आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

तारांकित प्रश्न क्र. 1258. प्रश्नकर्ता - श्री नरेन्द्र सिंह ठुशवाह
प्रश्नांश (ग) के उत्तर में वर्णित परिशिष्ट 'ब'
परिशिष्ट - "ब"

प्रश्नांश (ग) जांच चौकी पर पदस्थ कर्मचारी पर विभागीय जांच किसके द्वारा कब पंजीबद्ध हुई? निर्दोष और दोष कौन से सिद्ध हुए?

उत्तर:- ग्वालियर संभाग में जांच चौकियों पर पदस्थ रहते हुए:-

- (1) श्री जे.पी.भारद्वाज, वर्तमान में सेवानिवृत्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के विरुद्ध आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 31.07.2014 से जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की जाकर जांच संस्थित की गई। परचातवर्ती कार्यवाही में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के परीक्षणपरांत श्री भारद्वाज को दिनांक 21.10.15 से दोषमुक्त मान्य किया गया।
- (2) श्री यू.के.कोरी, वाणिज्यिक कर निरीक्षक, जांचचौकी सिकरौदा के विरुद्ध आयुक्त, वाणिज्यिक कर के आदेश दिनांक 01.03.14 से जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की जाकर जांच संस्थित की गई। कार्यवाही प्रचलन में होने से निर्दोष अथवा दोष के सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

अपूर आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश